



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1257]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 22, 2019/चैत्र 1, 1941

No. 1257]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 22, 2019/CHAITRA 1, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 2019

सं. 81/2015-2020

विषय:— (i) अल्यूमिनियम उद्योग के लिए कैल्सिंड पेट कोक (0.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष) और (ii) सीपीसी विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चे पेट कोक (1.4 मिलियन मीट्रिक टन) के आयात हेतु कोटे के आबंटन के लिए प्रक्रिया के संबंध में।

**का.आ. 1405(अ).**—माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका सं० 13029/1985 में दिनांक 04 अक्टूबर, 2018 के अपने आदेश में निर्णय दिया है कि अल्यूमिनियम उद्योग में कैल्सिंड पेट कोक (सीपीसी) के रूप में उपयोग के लिए कच्चे माल का आयात कुल 0.5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। इसी प्रकार सीपीसी विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चे पेट कोक का आयात 1.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए पेट कोक के आयात की नीतिगत शर्त में दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 की अधिसूचना सं० 42 के द्वारा संशोधन किया गया और जिसमें यह दर्शाया गया था कि इन आयातों का विनियमन और निगरानी दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के का.आ. सं० क्यू-18011/54/2018-सीपीए के तहत जारी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।

2. उपर्युक्त के अनुसरण में और विदेश व्यापार नीति (2015-2020) के पैरा 2.04 के साथ पठित समय समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा वर्ष 2019-2020 के लिए कैल्सिंड पेट कोक और कच्चे पेट कोक के आयात पर लगाए गए मात्रात्मक प्रतिबंध क्रियान्वित करने के लिए निम्नानुसार प्रक्रिया/तंत्र अधिसूचित करते हैं:

**पेट कोक के आयात हेतु आवेदन की शर्तें और रूप रेखा**

- (i) दिनांक 10 सितम्बर, 2018 के का० आ० सं० क्यू-18011/54/2018 - सीपीए के तहत जारी पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश के अधीन आयात किया जाएगा।

- (ii) आयात में वार्षिक मात्रा की सीमा राजकोषीय वर्ष आधार पर प्रचालित होगी। तदनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रति वर्ष आयात हेतु अनुमत और आयात हेतु उपलब्ध कुल मात्रा (i) अल्युमिनियम उद्योग में कैल्सिंड पेट कोक के रूप में उपयोग के लिए कैल्सिंड पेट कोक 0.5 मिलियन मीट्रिक टन है और (ii) सीपीसी विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चा पेट कोक 1.4 मिलियन मीट्रिक टन है। यह याचिकाकर्ताओं सहित इन दोनों क्षेत्रों में सभी औद्योगिक यूनिटों के लिए उपलब्ध है।
- (iii) ऊपर उल्लिखित कोटा का लाभ उठाने के इच्छुक सभी पात्र फर्म आयात हेतु अनुमत मात्रा और मासिक तथा वार्षिक आधार पर इसके उपयोग को दर्शाते हुए प्रयोक्ता औद्योगिक यूनिटों के नाम से यूनिट की क्षमता तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समिति (पीसीसी) से एक मान्य अनुमति प्रमाण पत्र सहित आयात लाइसेंस के लिए एएनएफ-2ड में विदेश व्यापार महानिदेशालय के संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रतिलिपि भेजते हुए विदेश व्यापार महानिदेशालय (एकिजम सुगमीकरण समिति), उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 में आवेदन कर सकते हैं।
- (iv) एएनएफ-1 (आयातक निर्यातक प्रोफाइल) के साथ पूर्ण आवेदन प्रपत्र (एएनएफ 2 ड) और उपर्युक्त (iii) में उल्लिखित दस्तावेजों को 31 मार्च, 2019 को अथवा पहले पहुंच जाना चाहिए। आवेदन शुल्क का परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2ट में यथा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार भुगतान करके इसे [petcokeimport-dgft@nic.in](mailto:petcokeimport-dgft@nic.in) को प्रेषित किया जाना चाहिए। इस ई-मेल का विषय शीर्षक "आवेदक का नाम/आईईकोड/आवेदित मात्रा मिलियन टन में/क्षेत्रीय प्राधिकारी का नाम जहां आवेदन फाइल किया जा रहा है, होगा।
- (उदाहरण के तौर पर यदि मैसर्स एबीसी इम्पोर्ट्स जिसका आईईकोड 1234567890 है, 1000 मि० टन का निर्यात करने हेतु अहमदाबाद आवेदन भेजना चाह रहे हैं तो विषय शीर्षक: (एबीसी इम्पोर्ट्स/1234567890/1000 मि० टन/अहमदाबाद) होगा)*
- (v) यदि प्राप्त दस्तावेज क्रम में पाए जाते हैं तो प्रतिबंधित मदों के आयात के लिए आवेदन पर एकिजम सुगमीकरण समिति (ईएफसी) में विचार किया जाएगा और संबंधित क्षेत्राधिकार प्राप्त क्षेत्रीय प्राधिकारी प्राधिकार-पत्र प्रदान करेंगे। आयात के प्रयोजन हेतु आयात लाइसेंस/प्राधिकार-पत्र दिनांक 31.03.2020 तक ही वैध होगा।
- (vi) यदि अनुमति/लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् आयातक संपूर्ण मात्रा जिसके लिए लाइसेंस जारी किया गया है का उपयोग/आयात नहीं कर सकता है तो आवेदक इस संबंध में ऐसे कोटे के आवंटन के 10 दिनों के अंदर डीजीएफटी को [petcokeimport-dgft@nic.in](mailto:petcokeimport-dgft@nic.in) पर सूचित करेगा ताकि अप्रयुक्त कोटे को अन्य आवेदकों जिन्होंने शुरु में आवेदन किया था को वितरित करना सुगम हो सके।
- (vii) पेट कोक के आयात हेतु लाइसेंस धारक अपनी आयात खेपों के ब्योरे अर्थात् आयात की मात्रा, स्रोत, सीमा शुल्क विभाग से माल की निकासी प्राप्त होने पर प्रत्येक खेप के मामले में प्रविष्टि बिल के विवरण सहित आयात की तिथि के संबंध में क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए) को सूचित रखेंगे। इसके बाद एक समेकित रिपोर्ट आयात प्राधिकार-पत्र अवधि के समाप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत की जानी चाहिए जिसमें अवधि के दौरान किए गए समस्त आयात का समेकित ब्यौरा दिया जाएगा।
- (viii) डीजीएफटी में ईएफसी 5 अप्रैल, 2019 तक आवेदकों में कोटा मूल्यांकित एवं आबंटित करेंगे तथा डीजीएफटी के संबंधित क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा 12 अप्रैल, 2019 तक लाइसेंस जारी किए जाएंगे।
- (ix) आबंटियों द्वारा कोटे का अभ्यर्पण किए जाने के पश्चात् उपलब्ध कोटे की समीक्षा, यदि कोई हो, की जाएगी; तथा
- (x) आयात को वित्तीय वर्ष की 31.03.2020 तिथि से पूर्व पूरा किया जाना चाहिए अर्थात् खेपों की निकासी सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा इस तिथि से पूर्व की जानी चाहिए।

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव : (i) अल्युमिनियम उद्योग में कैल्सिंड पेट कोक (सीपीसी) के रूप में उपयोग के लिए कैल्सिंड पेट कोक तथा (ii) सीपीसी विनिर्माण उद्योग के लिए कच्चे पेटकोक के आयात हेतु आबंटन की प्रक्रिया को अधिसूचित किया जाता है।

[फा. सं. 01/93/180/03/एएम-10/पीसी-2 (क) भाग-1]

आलोक वर्धन चुतर्वेदी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

**PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 22nd March, 2019

**No. 81/2015-2020**

**Subject: Procedure for allocation of quota for import of (i) Calcined Pet Coke (0.5 Million MT per annum) for Aluminum Industry and (ii) Raw Pet Coke (1.4 Million MT) for CPC manufacturing industry –regd.**

**S.O. 1405(E).**—The Hon'ble Supreme Court in the Writ Petition No. 13029/1985 vide its order dated 4<sup>th</sup> October, 2018, has decreed that the import of raw material for use as Calcined Pet coke (CPC) in Aluminium Industry cannot exceed 0.5 Million MT per annum in total. Similarly import of Raw Pet Coke for CPC manufacturing industry cannot exceed 1.4 Million MT per annum. In light of the Order of the Hon'ble Supreme Court, the import policy condition of Pet Coke was amended vide Notification No. 42 dated 23<sup>rd</sup> October, 2018 and wherein it had been indicated that the regulation and monitoring of such imports will be as per the guidelines of Ministry of Environment, Forest and Climate Change issued vide OM No Q-18011/54/2018-CPA dated 10<sup>th</sup> September, 2018.

2. Pursuant to the above and in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 as amended from time to time read with Para 2.04 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), the Director General of Foreign Trade hereby notifies the procedure/ mechanism to implement the quantitative restriction imposed on import of Calcined Pet Coke and Raw Pet Coke for year 2019-2020, as under:

**Conditions and modalities of application for import of Pet coke.**

- (i) Imports will be subject to guidelines laid down by Ministry of Environment, Forest and Climate Change issued vide OM No Q-18011/54/2018-CPA dated 10<sup>th</sup> September, 2018;
- (ii) The annual quantity limitation in import will be operated on fiscal year basis. Accordingly, the total quantity permitted for import per annum by the Hon'ble Supreme Court and available for import is (i) Calcined Pet Coke for use as Calcined Pet coke in Aluminium Industry is 0.5 Million MT and (ii) Raw Pet Coke for CPC manufacturing industry is 1.4 Million MT. This is available for all industrial units in these two sectors including the petitioners.
- (iii) All eligible entities desiring to avail quota as mentioned above, may apply for import license in ANF 2M to DGFT (Exim Facilitation Committee) Udyog Bhavan, New Delhi – 110 011 with copy to concerned jurisdictional Regional Authority of DGFT along with capacity of the unit and a valid consent certificate from State Pollution Control Board (SPCB)/ Pollution Control Committee (PCC), in the name of user industrial units indicating the quantity permitted for import and its usage on a monthly and yearly basis.
- (iv) Completed application form (ANF 2M) along with ANF-1(Importer Exporter Profile) and the documents mentioned at (iii) above must reach on or before 31st March, 2019. Application fee shall be paid in accordance with the procedure as in Appendix 2K of Appendices & Aayat Niryat Forms and submitted to **petcokeimport-dgft@nic.in** The subject header of this e-mail shall be "Name of applicant / IE Code/ quantity applied in Million Ton/Name of the RA where application is being filed.  
*(for example if M/s. ABC imports having IE Code 1234567890 are intending to file an application at Ahmedabad for export of 1000 MT then the subject header would be: ABC imports / 1234567890 /1000 MT / Ahmedabad )*
- (v) If documents received are found in order, application will be considered in Exim Facilitation Committee (EFC) for import of restricted items and the concerned jurisdictional RA will grant authorization. The import license/ authorization will be valid till 31.3.2020 only for the purpose of imports.
- (vi) If, after obtaining permission/license, importer cannot utilize/import the entire quantity for which the license has been issued, the applicant shall intimate the same to DGFT at **petcokeimport-dgft@nic.in** within 30 days of the allocation of such quota in order to facilitate distribution of the unutilized quota to other applicants who had applied initially.
- (vii) Holders of the license for import of Pet Coke would keep the RA informed of the details of his import consignments i.e the quantity of import, source and date of import along with details of Bill of entry in respect of each consignment on clearance of goods from Customs. Subsequently, a consolidated report within 30 days of the expiry of import authorization period must be submitted to the Regional Authority, giving consolidated details of all imports made during the period.

- 
- (viii) EFC in DGFT will evaluate and allot quota among applicants by 5th April 2019 and licenses will be issued by the concerned jurisdictional Regional Authorities of DGFT by the 12th April, 2019.
- (ix) Review of the quota available, if any, after surrender of the quota by allottees will be held thereafter ; and
- (x) Imports have to be completed before 31.3.2020 of the financial year i.e. consignments must be cleared by customs authorities before this date.

2. **Effect of this Public Notice:** Procedure for allocation of quota for import of (i) Calcined Pet Coke for use as Calcined Pet coke (CPC) in Aluminium Industry and (ii) Raw Pet Coke for CPC manufacturing industry is notified.

[F. No. 01/93/180/03/AM-10/PC-2(A) Part-1]

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade  
and ex-Officio, Addl. Secy.